भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2165
09.12.2024 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में बंदरों का खतरा

2165. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर तेलंगाना राज्य में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए, जहां किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, किन-किन विशिष्ट उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या के संबंध में प्रभावी नियंत्रण और शमन उपायों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए समर्पित धनराशि आवंटित की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) तेलंगाना सहित पूरे देश में बंदरों की समस्या के प्रबंधन के साथ-साथ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्न शामिल हैं:

i. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत पूरे देश में प्रमुख वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है।

ii. वन्यजीवों के संरक्षण को और सुदृढ़ करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-संवेदी क्षेत्र (ईएसजेडएस) अधिसूचित किए गए हैं।

iii. केंद्रीय सरकार देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत वित्त पोषित गतिविधियों में वन्य पशुओं को खेतों में जाने से रोकने के लिए सौर ऊर्जा संचालित विद्युत बाड़ लगाना, कैक्टस का उपयोग करके जैव-बाड़ लगाना, चार दीवारी लगाना जैसे भौतिक अवरोधकों का निर्माण करना/उनको लगाना शामिल है।

iv. केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत वन्य पशुओं के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने जंगली पशुओं के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में अनुग्रह की राशि दिसंबर, 2023 के दौरान बढ़ा दी है। वर्तमान में इन योजनाओं के तहत देय अनुग्रह राशि इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वन्य पशुओं द्वारा पहुँचाई गई क्षति की प्रकृति**	**अनुग्रह राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रूपए
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रूपए
iii.	मामूली चोट	प्रति व्यक्ति उपचार की लागत 25,000/- तक
iv.	संपत्ति/फसल का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार उनके द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती है।

v. मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए मंत्रालय ने फरवरी, 2021 में एक परामर्शिका जारी की है। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर्विभागीय कार्रवाई, संघर्ष के हॉट स्पॉट की पहचान, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, अनुग्रह राहत राशि की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन, त्वरित भुगतान के लिए मार्गदर्शन/निर्देश जारी करने और मृत्यु या चोट की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह राहत के उपयुक्त हिस्से का भुगतान करने हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है।

vi. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इसमें जंगल के सीमांत क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिए अनुपयुक्त फसलों की खेती, पेड/झाडी प्रजातियों के साथ उपयुक्त रूप में मिश्रित मिर्च, नींबू, घास, खस घास आदि जैसी नकदी फसलों सहित कृषि वानिकी मॉडल को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल के लिए व्यापक दीर्घकालिक स्कीम तैयार किया जाना और इसका कार्यान्वयन भी शामिल है।

vii. इस मंत्रालय ने मानव-हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मैकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काले हिरण के साथ संघर्ष को कम करने के लिए दिनांक 21 मार्च, 2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ ही भारत में वन और मीडिया क्षेत्र के बीच सहयोग; मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के संदर्भ में उक्त पेशे से

जुड़े लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित स्थितियों में भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने जैसे क्रॉस कटिंग मुद्दों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

viii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए विनियामक कार्यों का प्रावधान करता है।

***